न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा ।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-76/2020-21

बिहार सरकार (अंचल अधिकारी, बहादुरपुर) .... आवेदक

बनाम

संजीव झा एवं अन्य ....विपक्षीगण

अनुसूची 14 फारम संख्या 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ । 3
01/08/2021	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, बहादुरपुर के पत्रांक-269 दिनांक-09.02.2021 के द्वारा मौजा-बहादुरपुर थाना नं0-236 अंतर्गत जमाबंदी नं0-2221 बनाम संजीव झा पे0-रामस्वार्थ झा वो लीला देवी जौजे-सीताराम पासवान वो सविता देवी जौजे-लक्ष्मी पासवान साकिन-बहादुरपुर को रद्द करने हेतु भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है। विपक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के बावजूद विपक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः एकपक्षीय सुनवाई की गई। अंचल अधिकारी की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं0-2221 सी0एस0 खाता 363, सी0एस0 खेसरा 109 से संबंधित है। उक्त सी0एस0 खेसरा 109 से कई खेसरा बना जिसमें से यह आर0एस0 खेसरा 40 से संबंधित है। आर0एस0 सर्वे में इस खेसरे का खतियानी इंद्राज निम्न प्रकार है :-	

खाता	रैयत	खेसरा	किस्म	रकवा
218	राधाकान्त दास पे0-बैजनाथ लाल दास	40	धनहर-I	1.55 एकड़

सी0एस0 खेसरा 109 सी0एस0 खतियान में तालाब ही था। सी0एस0 नक्शा में भी तालाब का ही स्परूप स्पष्ट होता है।

आगे उनका कथन है कि उपरोक्त जमाबंदी सं0-2221 दाखिल खारिज वाद सं0-1427/2016-17 के द्वारा कायम हुआ है जो मूलतः जमाबंदी सं0-5/182 से खारिज होकर कायम हुआ है। इसकी मूल जमाबंदी सं0-5/182 भी संदेहास्पद है तथा इस जमाबंदी में दिनांक 12.01.2006 को प्रथम रसीद निर्गत है। दाखिल खारिज वाद संख्या भी दर्ज नहीं है। इस जमाबंदी पर खाता, खेसरा दर्ज है, पर ये खाता, खेसरा किस आधार पर दर्ज किये गए हैं, स्पष्ट नहीं है।

अतः लोक भूमि/जल निकाय से संबंधित प्रावधानों को देखते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को रद्द किया जाय।

सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, दरभंगा के पत्रांक-83

दिनांक 28.07.2021 एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 98 II दिनांक 29.07.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों का अवलोकन एवं परिशीलन किया। उपरोक्त से निम्न बिन्दु स्पष्ट परिलक्षित होता है :-

1. सी0एस0 खेसरा 109 से आर0एस0 खेसरा 40, 41 इत्यादि बना है। खेसरा 40 आर0एस0 खतियान में राधाकांत दास किस्म धनहर I दर्ज है। बंदोबस्त कार्यालय, दरभंगा के द्वारा गलत ढंग से सरकारी भूमि को रैयती कर दिया गया है।
2. सी0एस0 नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सी0एस0 खेसरा 109 भी सी0एस0 खतियान में तालाब ही था।
3. अंचल अधिकारी को आर0एस0 खेसरा 40 जो सी0एस0 खेसरा 109 से बना है, से संबंधित खतियान को रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।
4. विपक्षी संजीव झा एवं अन्य के द्वारा खेसरा सं0-109 पु0, नया 40, 41 मिलजुमला रकवा 0-5-7 धूर जमीन केवाला सं0-9804 दिनांक-28.06.2016 से विक्रेता रघुनाथ प्रसाद जायसवाल से खरीद किया गया है।
5. दाखिल खारिज वाद सं0-1427/16-17 के द्वारा क्रेता संजीव झा एवं अन्य के नाम जमाबंदी सं0-2221 कायम कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी के द्वारा दस्तावेज की जाँच नहीं की गई एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 का अनुपालन नहीं किया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज निष्पादन में विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया।
6. जमाबंदी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0-5/182 का सृजन बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश का हुआ है। इसका प्रथम रसीद दिनांक 12.01.2006 को निर्गत है एवं इस पर कोई दाखिल खारिज वाद संख्या दर्ज नहीं है। खाता, खेसरा दर्ज होने का भी कोई आधार नहीं है। अतः मूल जमाबंदी सं0-5/182 संदेहास्पद है एवं खारिज होने योग्य है।

   प्रथम दृष्टया तत्कालीन वर्ष 2006 में कार्यरत राजस्व कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी पंजी में जमाबंदी सं0-5/182 स्वतः ही दर्ज कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है।
7. जब मूल जमाबंदी सं0-5/182 ही संदेहास्पद है एवं बिना किसी प्राधिकार के आदेश का सृजित है, तो उससे सृजित अन्य सभी जमाबंदी स्वतः रद्द होने योग्य है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दाखिल खारिज वाद सं0-1427/16-17 में पारित आदेश दिनांक-23.08.2016 को अपास्त किया जाता है एवं इसके द्वारा सृजित जमाबंदी सं0-2221 को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को निम्न विन्दुओं का

अनुपालन करने हेतु निदेशित किया जाता है :-

1. जमाबंदी सं0-2221 को रद्द करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आनलाईन पोर्टल पर भी सुधार कर दें।

इसके अतिरिक्त सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) के पत्रांक-1553 दिनांक-03.06.2021 एवं समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक-1034/रा0 दिनांक-17.06.2021 के अनुपालन में मौजा-बहादुरपुर थाना नं0-236 अंतर्गत आर0एस0 खेसरा 40 से संबंधित खतियान को रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना सुनिश्चित करें।

मूल अभिलेख वापस करते हुए इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही इस आदेश की प्रति सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित ।

01/8/21

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।

01/8/21

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक 390 /न्या0, लहेरियासराय दिनांक 06/08..2021

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/8/21

अपर समाहर्त्ता,
दरभंगा।